



भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय  
विकास आयुक्त (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम)

## पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पर जागरूकता कार्यक्रम

भारत सरकार की पब्लिक प्रोक्योरमेंट नीति के अनुसार सरकारी खरीद का 25 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से क्य करना अनिवार्य है जिससे एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिले। एमएसई सेक्टर के उद्यमियों को पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की विस्तृत जानकारी देने और इसके प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पर एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम निम्नानुसार आयोजित किया जा रहा है:-

दिनांक व समय : 07 फरवरी, 2020 (शुक्रवार)  
सायं 5:30 बजे से, रात्रि भोजन

स्थान : सभाकक्ष, गोविन्दपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन,  
भोपाल

पंजीकरण : पंजीकरण हेतु इकाई का नाम व पता, प्रतिभागी  
का नाम, उद्योग आधार मेमोरांडम का नम्बर की  
जानकारी सहित मो. नं 9755355376, 9826606839

पर

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :-  
श्री बिपुल दे, सहायक निदेशक मो. 7974046001  
ईमेल : bipul.de.msme@gov.in

श्री मदन लाल, सेक्रेटरी, जी.आई.ए.  
मो. 9826606839

आयोजक :-  
निदेशक, एमएसएमई विकास संस्थान (भारत सरकार)

10, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर-452015, फोन 2421037, 2421659  
ईमेल : dcdi-indore@dcmsme.gov.in वेबसाइट: [www.msmeindore.nic.in](http://www.msmeindore.nic.in)